रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1994/माघ 5, 1915
No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1994/MAGHA 5, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1994

एस ई सी/ए एण्ड आर/02/93:—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है,

(2) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(3) "सचिव" से धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है,

(4) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(5) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

अध्याय—2

प्राधिकरण के अधिवेशन के लिए प्रक्रिया

2. प्राधिकरण के अधिवेशन (1) (क) साधारण अधिवेशन:

प्राधिकरण के एक वर्ष में दो अन्यून साधारण अधिवेशन ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर होंगे जो अध्यक्ष उपयुक्त समझे और किन्हीं दो साधारण अधिवेशनों के बीच का अन्तराल किसी भी दशा में आठ मास से अधिक नहीं होगा।

(ख) विशेष अधिवेशन, अध्यक्ष, अत्यावश्यकता की दशा में, किसी भी समय, प्राधिकरण का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और यदि किसी अधिवेशन के लिए कम से कम दस सदस्य लिखित रूप में अध्यपेक्षा प्रस्तुत करते हैं, तो वह ऐसा कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण के किसी अधिकारी से प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा या किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसा अधिकारी या व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, प्राधिकरण का अधिवेशन बुला सकेगी।

4. अधिवेशनों की सूचना

प्राधिकरण के किसी साधारण अधिवेशन से कम से कम 14 दिन पूर्व, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आशयित अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना, केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और प्रत्येक सदस्य के पते पर छोड़ दी जायेगी या डाक द्वारा भेज दी जाएगी।

5. गणपूर्ति : (1) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अधिवेशन में कम से कम दस सदस्य उपस्थित न हों।

(2) यदि किसी अधिवेशन में किसी भी समय सदस्यों की संख्या उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या से कम है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अधिवेशन को ऐसी तारीख तक, जो ऐसे अधिवेशन की तारीख से तीन दिन के पश्चात् हो स्थगित अधिवेशन की तारीख समय और स्थान के बारे में सदस्यों को सूचना देने के पश्चात् कर देगा और तदुपरि ऐसे स्थगित अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या को क्रिया में लाए बिना मूल अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले आशयित कारबार को निपटा दे।

6. अधिवेशनों का अध्यक्ष : अध्यक्ष प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, अधिवेशन में उपस्थित सदस्य, ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए स्वयं में से किसी एक सदस्य का चयन करेंगे।

7. कार्यसूची :— (1) अध्यक्ष, साधारण अधिवेशनों की दशा में ऐसे अधिवेशनों में संव्यवहार किए जाने वाले कारबार की सूची तैयार करवाएगा और प्राधिकरण के किसी अधिवेशन से कम से कम 10 दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण के सदस्यों के बीच परिचालित करवाएगा।

(2) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए कारबार का अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

8. मतदान (1) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन के समक्ष लाए गए प्रत्येक प्रश्न का उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(2) मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

9. परिचालन द्वारा कारबार

(1) किसी ऐसे कारबार को जिसका प्राधिकरण द्वारा संव्यवहार किया जाता है, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो, कागज पत्र परिचालित करके सदस्यों (जो उन सदस्यों से भिन्न है जो भारत में नहीं है) को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित कागज पत्र की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी।

(2) उप विनियम (1) के अधीन परिचालित और उन सदस्यों के जिन्होंने अपने विचार लेखबद्ध किए हैं, बहुमत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव या संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होंगे मानों ऐसे प्रस्ताव या संकल्प का किसी अधिवेशन में सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया गया हो।

परन्तु यह तब जब कि बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों ने प्रस्ताव या संकल्प का अनुमोदन किया हो :

परन्तु यह और कि जब किसी प्रस्ताव या संकल्प को, परिचालित करके सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तब कोई दस सदस्य यह अपेक्षा कर सकेंगे कि प्रस्ताव या संकल्प प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां कोई कारबार उप-विनियम (1) के अधीन सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है, वहां सदस्यों से उत्तर की प्राप्ति के लिए पूर्ण दस दिन से अन्यून की अवधि अनुज्ञात की जाएगी, और ऐसी अवधि की गणना कारबार की सूचना जारी करने की तारीख से की जाएगी।

(4) यदि इस विनियम के अधीन कोई प्रस्ताव या संकल्प परिचालित किया जाता है, तो इस परिचालन का परिणाम, सभी सदस्यों और केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।

(5) कागज पत्र परिचालित करके किए गए प्रश्नों के विनिश्चयों को प्राधिकरण के आगामी अधिवेशन में अभिलेख के लिए रखा जाएगा।

10. कारबार का अभिलेख : (1) प्राधिकरण द्वारा संव्यवहार किए गए कारबार की सभी मदों की कार्यवाहियों का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जाएगा और ऐसे अभिलेख की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(2) जब किसी कारबार को विनियम (9) के अधीन कागज पत्र परिचालित करके संव्यवहार किया जाता है तब इस प्रकार संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(3) प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन में संव्यवहार किए गए कारबार का अभिलेख यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

गोकुल पटनायक, अध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE

(Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1994

F. No. Sec.|AIR|02|93.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires :

(i) "Act" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act 1985 (2 of 1986);